संख्या–1547/60–1–14–1/13(46)/14

प्रेषक,

रेणुका कुमार ,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
महिला कल्याण,
उ0प्र0, लखनऊ।

महिला एवं बाल विकास अनुभाग–1 लखनऊः दिनांक 04 सितम्बर, 2014

विषयः– आई0सी0पी0एस0 योजना के अन्तर्गत जिला प्रोबेशन अधिकारी (जिला बाल संरक्षण अधिकारी) को जनपद में भ्रमण एवं आवश्यक कार्यो के निपटाने हेतु पेट्रोल/वाहन किराया मद में धनराशि उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र सं0–1547/60–1–14–1/13(46)/14, दिनांक 25.08.2014 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा जनपद आगरा, मथुरा, आजमगढ़, इलाहाबाद, कानपुर नगर, गोरखपुर, चित्रकूट, झांसी, गोण्डा, फैजाबाद, बरेली, बस्ती, मिर्जापुर, मुरादाबाद, मेरठ, लखनऊ, वाराणसी, सहारनपुर में रू0 30,000/– तथा शेष अन्य जनपदों में रू0 25,000/– पेट्रोल/वाहन किराया मद में व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है।

2– उक्त के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त धनराशि का व्यय आई0सी0पी0एस0 योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014–15 में आयोजनागत पक्ष के अनुदान सं0–49 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2235–सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण 02–समाज कल्याण–102–बाल कल्याण–01– केन्द्रीय आयोजनागत /केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं –0115–बाल संरक्षण इकाई की स्थापना (के0– 75 /र0– 25, के0+र0) के मानकमद –42–अन्य व्यय से व्यय किया जायेगा।

3– उक्त आदेश दिनांक 25.08.2014 को एततद्वारा इस सीमा तक संशोधित समझा जाए।

भवदीय,

(रेणुका कुमार)
प्रमुख सचिव।

संख्या–1547/60–1–14, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार (लेखा एंव हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2– महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3– समस्त कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4– समस्त जिला प्रोबेशन अधिकारी (जिला बाल संरक्षण अधिकारी), उ0प्र0।
5– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(नन्दलाल प्रसाद)
उप सचिव।